बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

कार्यालय आदेश संख्या 311 / 2026

सं0सं0–अ0नि0 (02) 44 / 2024 / नि0सं0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 197(24) दिनांक 30.01.2025 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री मनोरंजन कुमार, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को बिहार सेवा संहिता के नियम–227 एवं 230 के अन्तर्गत माँ की चिकित्सा हेतु दिनांक 27.10.2026 से 04.11.2026 तक कुल 09 (नौ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार के अवकाश अवधि में इनके कार्यों का निष्पादन श्री मनोज कुमार, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल द्वारा किया जायेगा।

इसमें प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0 (02) 44 / 2024 / नि0सं0..... दिनांक.....

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सुपौल / मुख्य अभियोजक, सुपौल / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / श्री मनोरंजन कुमार, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल / श्री मनोज कुमार, सहायक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0 / –
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (02) 44 / 2024 / नि0सं0 2828 दिनांक 15/10/26

प्रतिलिपिः– ✓ प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/10/26
उप सचिव।

Gahar